25/01/2022 प्रार्थी मय वकील उप० हुआ। प्रार्थी द्वारा दावा में राजीनामा होने के कारण दावा स्तर पर खारिज किया जा चुका है। अतः अब इस प्रार्थना-पत्र 212 RTA का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

अतः प्रार्थना-पत्र 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

अजीतसिंह
Idc
25-1-22

उपखण्ड अधिकारी